उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
14–अशोक मार्ग, शक्ति भवन,
लखनऊ।

संख्या : 216 /स्टा0आफि0/(स0अ0)/पाकालि/2020 दिनांक: 2 अप्रैल, 2020

प्रबन्ध निदेशक,
पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल/पूर्वांचल/केस्को
मेरठ/आगरा/लखनऊ/वाराणसी/कानपुर
विद्युत वितरण निगम लि0।

विषय :– **Covid 19** महामारी में लॉकडाउन के कारण से बिलिंग के सम्बन्ध में निर्देश।

महोदय,

विदित है कि Covid 19 महामारी के कारण से भारत सरकार द्वारा दिनांक 25.03.2020 के 00:00 बजे से दिनांक 14.04.2020 तक 21 दिनों का लॉक डॉउन किया गया हैं। इस सम्बन्ध में पत्र सं0 36/पीएसडीसी/पाकालि/2020 दिनांक 28.03.2020 एवं पत्र सं0 37/पीएसडीसी/पाकालि/2020 दिनांक 01.04.2020 जिसके अंतर्गत औसत खपत के आधार पर बिलिंग एवं देय तिथि 30.04.2020 किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उपरोक्त निर्देशों को सम्मिलित करते हुए बिलिंग के सम्बन्ध में समग्रता में निम्नवत् निर्देशित किया जाता है :–

1. एलएमवी–1 एवं एलएमवी–5 के बिल 03 माह की औसत खपत अथवा अनमीटर्ड श्रेणी में टैरिफ के अनुसार फिक्स चार्ज के बिल बनाये जाएंगे।
2. अन्य श्रेणी के बिल लॉकडाउन खुलने के उपरान्त दिनांक 14.04.2020 के बाद वास्तविक खपत के आधार पर सृजित कर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराये जायें।
3. वाणिज्यिक एवं औद्योगिक श्रेणियों यथा एल0एम0वी0–2, एल0एम0वी0–6, एच0वी0–1 एवं एच0वी0–2 श्रेणी के बिल वास्तविक खपत पर निम्न प्रावधानों के अनुसार बनाये जायेंगे :–
   - उपरोक्त श्रेणियों के अप्रैल माह के बिलों में 2/3 फिक्स चार्ज/डिमाण्ड चार्ज लिया जायेगा (1/3 लॉक डॉउन अवधि के अनुपात में)।
   - उपरोक्त श्रेणियों के मई माह के बिलों में 1/2 फिक्स चार्ज/डिमाण्ड चार्ज लिया जायेगा (1/2 लॉक डॉउन अवधि के अनुपात में)
   - माह अप्रैल में स्थगित फिक्स/डिमाण्ड चार्ज को जून माह के बिल में एवं माह मई में स्थगित फिक्स/डिमाण्ड चार्ज को जुलाई माह के बिल में चार्ज किया जाये जिस पर उपभोक्ता को कोई भी सरचार्ज देय नहीं हो।
4. 01.03.2020 से 14.04.2020 तक बनाये गये माह मार्च एवं अप्रैल 2020 के बिलों की देय तिथि 30.04.2020 तक बढ़ायी गयी है जिसमें टैरिफ के अनुसार देय तिथि के पूर्व जमा करने पर छूट यथावत् रहेगी एवं 30.04.2020 तक की अवधि का कोई भी सरचार्ज नही लगेगा।

(एम0 देवराज)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (वाणिज्य), उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. अधीक्षण अभियन्ता (आरएपीडीआरपी पार्ट–ए), उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।

c:\users\admin\desktop\lock_down_letter.doc